(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 31/2021- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई, 2021

सा.का.नि......(अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “मिथाइल एसिटोएसिटेट” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975(1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 31 मई, 2016, जिसे सा.का.नि. 566 (अ), दिनांक 31 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/40/2020-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था ।

और जहां कि, उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारीअपने अंतिम निष्कर्षों, जिसे की अधिसूचना संख्या 7/40/2020-डीजीटीआर, दिनांक 3 मई, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) इस प्रतिपाटन शुल्क के लगे रहने के बावजूद कुल आयात, मांग और उत्पादन की तुलना में विषयगत देश से होने वाला आयात बहुत अधिक है और जांच अवधि के दौरान पाटन और क्षति मार्जिन धनात्मक रहा है;
(ii) आयात मूल्य, वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क जोड़े बिना, घरेलू उद्योग के मूल्यों से कम रहा है;
(iii) विषयगत देश की अतिरिक्त क्षमता के बढ़ने की संभावना है और जांच अवधि के दौरान आयातों का अवतरण मूल्य घरेलू उद्योग के निवल विक्रय मूल्य से कम है;
(iv) यदि वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लागू है, तो विषयगत देश से विषयगत वस्तु की यहां भरमार हो जाने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है;

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर लगे इस प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	उत्पादक देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90, 2918 99 90 or 2933 19 99	मिथाइल एसिटोएसिटेट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कं.लि.	0.277	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90,	मिथाइल एसिटोएसिटेट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित देश से भिन्न कोई	0.404	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर

	2918 99 90 or 2933 19 99			देश	भी देश			
3.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90, 2918 99 90 or 2933 19 99	मिथाइल एसिटोएसिटेट	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	0.404	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्यासीबीआईसी-190354/31/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार